E. Mail

<u>वर्ष 2011–12 हेतु आवंटन</u>

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रॉकः–जीओ–82/डीआरडीए (प्रशा0)/लेखा/ 2010–11 दिनांकः 14 सितम्बर 2011

विषयः जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–डी–301/38–2–11–2(118)डी/2010, दिनांक 08 सितम्बर 2011 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा डी0आर0डी0ए0 (प्रशा0) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए अनुदान सं0 13 में प्राविधानित धनराशि रू0 2103.22 लाख के सापेक्ष अवशेष राज्यांश रु01577.415 लाख में से द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 525.00 लाख (रुपये पांच करोड़ पच्चीस लाख मात्र) आयुक्त ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी गयी है । शासन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि 525.00 लाख (रुपये पांच करोड़ पच्चीस लाख मात्र) संलग्नक के कालम–3 के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है:–

1– धनराशि के आहरण तथा उसके व्यय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या डी–193/अड़तीस–2–11–2(118)डी/2010, दिनांक 13–4–2011 तथा शासनादेश संख्या–डी–301/38–2–11–2(118)डी/2010, दिनांक 08 सितम्बर 2011 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

2– योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा धनराशि के आहरण मे वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशा0) योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

3–धनराशि के आहरण व वितरण के लिए सम्बन्धित जनपदों के मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे । यदि कभी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जायेगी।

4– नवसृजित जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर को जनपद सुल्तानपुर एवं रायबरेली से सम्मिलित विकास खण्डों की संख्या के आधार अनुपातिक धनराशि तत्काल हस्तान्तरित की जाए एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाए ।

5–आवंटन में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ/ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन होता है, तो सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ /वित्त एवं लेखाधिकारी का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना कार्यालय को उपलब्ध करा दें।

6—इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501—ग्राम्य विकास के लिये विशेष कार्यक्रम—01—समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम—800—अन्य व्यय—01—केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधनित योजनाएं—0109—जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के—75/रा—25—रा) —31—सहायता अनुदान—सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

7— आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8— उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ संख्या—184 पर कर ली गई है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
14/9/11

(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रॉकः—जीओ—82/डीआरडीए (प्रशा0)/लेखा/ 2010—11 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2/(व्यय नियंत्रण)अनुभाग—2/राज्य योजना आयोग—1/2 तथा नियोजन अनुभाग—3
7. ग्राम्य विकास अनुभाग—3, उ0प्र0शासन।
8. संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास अनु0—2 , उ0प्र0 शासन को शासनादेश संख्या—डी—301/38—2—11—2(118)डी/2010, दिनांक 08 सितम्बर 2011 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0

Shiv_Iay 2010.doc

Annexure of Letter no.:G.O. 82/DRDA/Admin/Lekha/2011

Dated: 14-9-2011

DRDA Administration (Rs. In lakh)

Sl. No.	Name of the District	State Share Being Released	Progressive Total
1	2	3	4
1	AGRA	7.900	15.822
2	ALIGARH	7.900	15.822
3	ALLAHABAD	8.140	16.304
4	AMBEDKAR NAGAR	6.930	13.876
5	AURRIYA	6.930	13.876
6	AZAMGARH	8.140	16.304
7	BADAUN	8.140	16.304
8	BAGPAT	6.930	13.876
9	BAHRAICH	7.900	15.822
10	BALIA	8.140	16.304
11	BALRAMPUR	6.930	13.876
12	BANDA	6.930	13.876
13	BARABANKI	7.900	15.822
14	BAREILLY	7.900	15.822
15	BASTI	7.900	15.822
16	BHADOHI S.R.NAGAR	6.930	13.876
17	BIJNOUR	7.900	15.822
18	BULANDSHAHAR	8.140	16.304
19	CHANDOULI	6.930	13.876
20	CHITRAKOOT	5.590	11.197
21	DEORIA	8.140	16.304
22	ETAH	6.930	13.876
23	ETAWAH	6.930	13.876
24	FAIZABAD	7.900	15.822
25	FARRUKHABAD	6.930	13.876
26	FATEHPUR	7.900	15.822
27	FIROZABAD	6.930	13.876
28	GAUTAM BUDH NAGAR	5.600	11.207
29	GAZIPUR	8.150	16.314
30	GHAZIABAD	6.940	13.886
31	GONDA	8.150	16.314
32	GORAKHPUR	8.150	16.314
33	HAMIRPUR	6.940	13.886
34	HARDOI	8.150	16.314
35	J.R. PHULE NAGAR	6.940	13.886
36	JALAUN	6.940	13.886
37	JAUNPUR	8.150	16.314
38	JHANSI	6.940	13.886
39	KANNAUJ	6.940	13.886
40	KANPUR DEHAT	6.940	13.886
41	KANPUR NAGAR	6.940	13.886

Annexure of Letter no.:G.O. 82/DRDA/Admin/Lekha/2011

Dated:14-9-2011

DRDA Administration (Rs. In lakh)

Sl. No.	Name of the District	State Share Being Released	Progressive Total
1	2	3	4
42	KANSHI RAM NAGAR	6.940	13.886
43	KAUSHAMBI	6.940	13.886
44	KHERI (LAKHIMPUR)	7.910	15.832
45	LALITPUR	6.940	13.886
46	LUCKNOW	6.940	13.886
47	MAHAMAYA NAGAR HATHRAS	6.940	13.886
48	MAHARAJGANJ	7.910	15.832
49	MAHOBA	5.600	11.207
50	MAINPURI	6.940	13.885
51	MATHURA	6.940	13.885
52	MAUNTAH BHANJAN. MAU	6.940	13.885
53	MEERUT	7.910	15.831
54	MIRZAPUR	7.910	15.831
55	MORADABAD	7.910	15.831
56	MUZAFFARNAGAR	7.920	15.841
57	PADRAUNA KUSHI NAGAR	7.920	15.841
58	PILIBHIT	6.940	13.885
59	PRATAPGARH	8.160	16.320
60	RAI BARELI	8.160	16.320
61	RAMPUR	6.940	13.885
62	SAHARANPUR	7.920	15.841
63	SANT KABIR NGR	6.940	13.885
64	SHAHJAHANPUR	7.920	15.841
65	SHRAVASTI	5.600	11.206
66	SIDHARTH NAGAR	7.920	15.841
67	SITAPUR	8.160	16.320
68	SONBHADRA	6.940	13.885
69	SULTANPUR	8.160	16.320
70	UNNAO	8.160	16.320
71	VARANASI	6.940	13.885
	Total >>>	525.000	1050.805

(Rs.Five Crore Twenty Five Lakh Only)

(Mahesh Kumar Agnihotri)
Additional Commisioner (Accounts)
Rural Development

संख्या– डी-301 /38–2–2011–2(118)डी/2010

प्रेषक,

राम सेवक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनु0–2 लखनऊः दिनांक 08 सितम्बर, 2011

विषयः– जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–जी0ओ0–59/पेंशन लेखा/2010–11 दिनांक 03 जुलाई, 2011 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या–डी 193/38–2–2011–2(118)डी/2010 दिनांक 13–04–2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 21,03,22,000/– के सापेक्ष अवशेष राज्यांश रू0 15,77,41,500/– में से द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 52500000/– (रू0 पांच करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 13–04–2011 में धनराशि के आहरण तथा उसके व्यय आदि के सम्बन्ध में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0109–जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के–75/रा–25–रा)–31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0सं0–ई–2–596 दिनांक 30–08–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
R Sewak
(राम सेवक)
अनु सचिव।

उप आयुक्त (लेखा)
9.9.2011
(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0 प्र0

संख्या–301(1)/38–2–2011 तद्‌दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(5) वित्त (आय–व्ययक) अनु0–2/राज्य योजना आयोग–1/2 तथा नियोजन अनु0–3
(6) ग्राम्य विकास अनु0–3
(7) निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(राम सेवक)
अनु सचिव।

P go-2011